लोक हित के सन्देश

नागरिकों, आप अपने अधिकारों को जानें

नागरिकों को पुलिस से संबंधित किसी भी कार्रवाई की स्थिति में इस देश के संविधान और कानूनों के अंतर्गत कई अधिकार प्राप्त हैं । एक नागरिक के रूप में आपके लिए यह जानना आवश्यक है कि वे अधिकार क्या हैं ताकि आप अपनी सुरक्षा कर सकें और उन अधिकारों का लाभ उठा सकें। हम पुलिस से सम्बन्धित आपके अधिकारों के बारे में तीन मुख्य शीर्षकों के अंतर्गत आपको जानकारी दे रहे हैं:

१.प्रथम सूचना रिपोर्ट, २.गिरफ्तारी के दौरान अधिकार, ३.पूछताछ के दौरान अधिकार

प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.)

यह क्या है?

प्रथम सूचना रिपोर्ट एक लिखित रिपोर्ट है, जिसे किसी संज्ञेय अपराध होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस तैयार करती है। आमतौर पर यह एक प्रकार की आपकी शिकायत है जो आपके द्वारा किसी संज्ञेय अपराध से पीड़ित एक व्यक्ति के रूप में अथवा आपकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा पुलिस को दायर की जाती है। यह आपका अधिकार है कि एफ.आई.आर. की एक निःशुल्क प्रति आपको मिले।

यह क्यों महत्वपूर्ण है?

यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एफ.आई.आर. दायर करने के साथ ही आपराधिक न्याय की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। एफ.आई.आर. दायर करने के बाद ही आपकी शिकायत पर जांच शुरू होती है ।

एफ.आई.आर. कौन दायर कर सकता है?

कोई भी व्यक्ति जो यह जानता है कि कोई अपराध किया गया है पुलिस को इसकी जानकारी देकर अथवा शिकायत लिखकर और पावती सहित रजिस्टर्ड डाक द्वारा इसे थाने भेजकर एफ.आई.आर. दायर कर सकता है। यह जरूरी नहीं है कि सिर्फ उस अपराध से पीड़ित व्यक्ति ही एफ. आई.आर. दायर करे।

एफ.आई.आर. में आपको कौन सी बातें उल्लेख करनी चाहिए?

- अपना नाम और पता
- घटना का दिन, समय और स्थान
- घटना की सच्चाई और यह घटना वास्तव में कैसे घटी
- घटना में शामिल व्यक्तियों का नाम और उनका विवरण
- साक्षियों का विवरण, यदि कोई हो

पुलिस को कभी भी गलत, बढ़ा-चढ़ाकर अथवा अस्पष्ट जानकारी या वक्तव्य न दें। प्रत्येक नागरिक का यह कर्त्तव्य है कि वह संरक्षा और जन सुरक्षा बनाए रखने में पुलिस की ज्यादा से ज्यादा सहायता करे।

यदि आपका एफ.आई.आर. दर्ज नहीं होता है तब आप क्या कर सकते हैं?

- अपनी पूरी शिकायत लिखकर पुलिस अधीक्षक या किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को रजिस्टर्ड पावती पत्र/साधारण डाक से भेजें।
- आप वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से व्यक्तिगत रूप से भी मिल सकते हैं और अपनी शिकायत की एक प्रति उन्हें दे सकते हैं।
- उस न्यायालय में, जिसके क्षेत्राधिकार में यह घटना घटी है, शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- श्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन.एच.आर.सी.), सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-११०००१, टेलीफोन संख्या : ०११-३३४८४७८, फैक्स : ०११-३३४००१६, ई-मेल : बवअकदीतब/ीनइण्दपबण्पद या राज्य मानवाधिकार आयोग, मलेरिया ग्राउण्ड,गांधी चौक, रायपुर, टेलीफोन - ०७७१-२३५५९० से ९४, फैक्स - ०७७१-२३५५९२, को शिकायत भेज सकते हैं।

गिरफ्तारी के दौरान अधिकार

- गिरफ्तार व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है कि उसे किस आधार पर गिरफ्तार किया गया है;
- गिरफ्तार व्यक्ति को किसी सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए बगैर उसकी गिरफ्तारी के समय से २४ घंटे से अधिक समय तक पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता है;
- गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी और बन्दी बनाकर रखे गए स्थान के बारे में अपने परिवार के सदस्य या मित्र को जानकारी देने का अधिकार है;
- गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसन्द के वकील से मिलने और उसकी सलाह लेने का अधिकार है;
- यदि व्यक्ति जमानतीय अपराध में गिरफ्तार होता है तो उसे जमानत पर छूटने का अधिकार है।
- यदि गिरफ्तार व्यक्ति, गरीब, महिला, अव्यस्क, विकलांग अथवा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय का व्यक्ति है तो उसे राज्य सरकार द्वारा एक निःशुल्क वकील की सेवा मिलने का अधिकार है;
- गिरफ्तार व्यक्ति को हवालात में पीटा नहीं जाना चाहिए या भूखा नहीं रखा जाना चाहिए या सोने से रोकना नहीं चाहिए या उसके साथ बुरा बर्ताव, दुर्व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए या उसे यातना नहीं दी जानी चाहिए।

पूछताछ के दौरान अधिकार

- जब कभी भी आपको थाने में पूछताछ के लिए बुलाया जाता है तो आपका यह अधिकार है कि आप इसके लिए एक लिखित आदेश की मांग करें।
- यदि आपकी आयु १५ वर्ष या उससे कम है तो पुलिस को आपसे पूछताछ आपके घर में करनी चाहिए न कि पुलिस थाने में।
- आपको यह अधिकार है कि आपसे कोई ऐसा वक्तव्य न लिया जाए जिसे आपके खिलाफ साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल किया जा सके।
- कोई भी पुलिस अधिकारी या अन्य अधिकारी आपको लालच, धमकी देकर या कुछ वायदा करके आप पर किसी प्रकार का वक्तव्य देने का दबाव नहीं डाल सकता है।
- आपको पूछताछ के दौरान पुलिस को दिए किसी वक्तव्य पर हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए।

महिलाओं के अधिकार

यदि कोई महिला गिरफ्तार की जाती है, बंदी बनाई जाती है अथवा उससे प्रश्न किया जाता है तोः

- उस महिला की तलाशी एकांत में और शिष्टता से केवल महिला सदस्य द्वारा ही ली जानी चाहिए।
- उस महिला को थाने में एक अलग बंदीगृह में रखा जाना चाहिए तथा ऐसी जगह नहीं रखा जाना चाहिए जहां पुरूष अभियुक्तों को बंदी रखा गया है।
- उस महिला को पूछताछ के लिए पुलिस थाने नहीं ले जाया जाना चाहिए। पूछताछ केवल उस महिला के घर पर तथा उसकी परिवार की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए।
- यदि वह महिला अजमानतीय अपराध के लिए गिरफ्तार की गई है तब भी उसे जमानत पर छोड़ा जा सकता है।

अधिक जानकारी केलिए कृपया नीचे दिये पते पर संपर्क करें:
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
एन - ८, दूसरी मंजिल, ग्रीन पार्क (मेन)
नई दिल्ली - ११० ०१६
दूर भाष: ०११ - ६८५ ८१५२, ६८५ ०५२३
फैक्स: ०११ ६८६ - ४६८८

छत्तीसगढ़ राज्य मानवाधिकार आयोग
तथा
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव